



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27729-DB

सुरक्षित:- 28.01.2026

पारित:- 09.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2478 वर्ष 1985

रामेश्वर और एक अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : एस.के. चतुर्वेदी, शाश्वत किशोर चतुर्वेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ,

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय,

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. चतुर्वेदी और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री प्रेम शंकर प्रसाद की दलीलें सुनीं, तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख, निर्णय और आदेश का अवलोकन किया।

2. यह आपराधिक अपील, अपर सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा सत्र विचारण संख्या 360/1984 में दिनांक 12.9.1985 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 302/34 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

3. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अभियुक्त श्रीमती शांति, अभियुक्त रामेश्वर की माँ हैं। आरोप है कि बबली उर्फ कमलेश, जिसकी उम्र लगभग 14 या 15 वर्ष थी, अपनी विधवा माँ श्रीमती

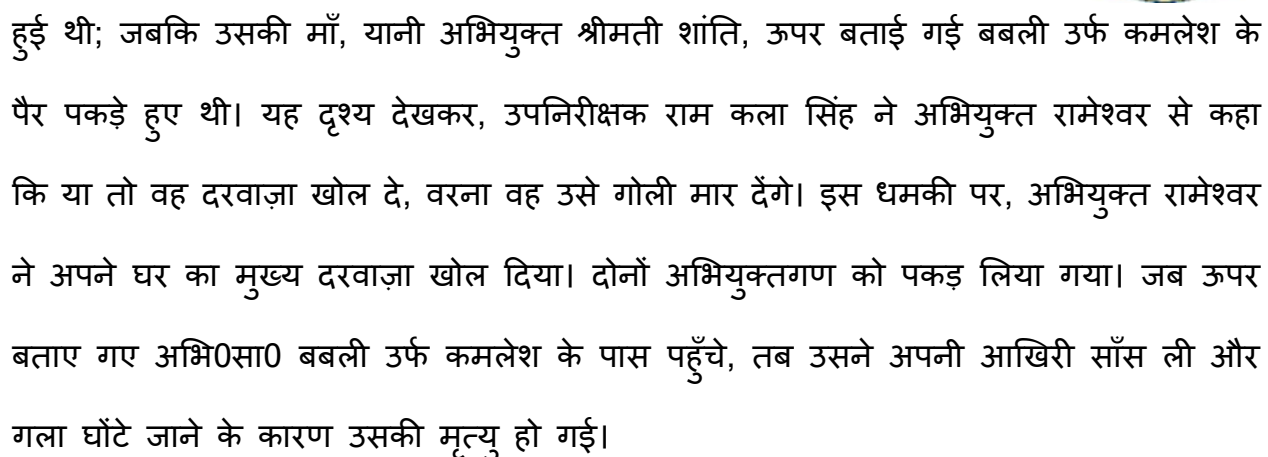
“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सुरेंद्र कौर और दो भाइयों के साथ मथुरा की बैंक कॉलोनी में रहती थी। दोनों अभियुक्त, यानी रामेश्वर और श्रीमती शांति, राधा नगर के मकान नंबर 1डी में रहते थे, जो ऊपर बताई गई बबली उर्फ कमलेश के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। आगे यह भी आरोप है कि ऊपर बताई गई बबली उर्फ कमलेश की माँ, श्रीमती सुरेंद्र कौर, मथुरा-आगरा बाईपास पर एक होटल चलाती थीं। 14-7-84 को शाम लगभग 5 बजे, ऊपर बताई गई बबली उर्फ कमलेश सब्ज़ियाँ खरीदने के लिए दीग गेट, जन्मभूमि गई थी। चूँकि वह रात में अपने घर नहीं लौटी, इसलिए उसकी माँ श्रीमती सुरेंद्र कौर ने उसे ढूँढ़ा। अगली सुबह ईश्वर और बलवीर सिंह ने उन्हें बताया कि उन्होंने अभियुक्त रामेश्वर को पिछली शाम दीग गेट रेलवे क्रॉसिंग के पास एक रिक्शे में उनकी बेटी, बबली उर्फ कमलेश को ले जाते हुए देखा था। तदनुसार, वह ऊपर बताए गए रामेश्वर के घर गईं, जहाँ उनकी मुलाकात दोनों अभियुक्तगण से हुई। आरोप है कि दोनों अभियुक्तगण ने श्रीमती सुरेंद्र कौर को धमकाया और उनसे कहा कि रामेश्वर, कुमारी बबली उर्फ कमलेश से शादी करेगा और वह जो चाहे कर सकती है। उसके बाद, वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कृष्णा नगर पुलिस चौकी गईं, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और पुलिस ने उनसे एस.पी. (पुलिस अधीक्षक) के पास जाने को कहा। तदनुसार, 15-7-84 को ऊपर बताई गई श्रीमती सुरेंद्र कौर एस.पी., मथुरा के पास गईं, जिन्होंने मथुरा के निरीक्षक कोतवाली को वाद दर्ज करने का आदेश दिया; और तदनुसार, 15-7-84 को रात 10:10 बजे मथुरा के कोतवाली थाने में एक वाद दर्ज किया गया।

4. इस वाद की विवेचना 16-7-84 को उपनिरीक्षक राम कला सिंह को सौंपा गया। उसी दिन, जब ऊपर बताए गए उपनिरीक्षक राम कला सिंह शिकायतकर्ता श्रीमती सुरेन्द्र कौर के घर गए, तो वह उन्हें वहाँ नहीं मिलीं; इसलिए 18-7-84 को उन्होंने उनका बयान दर्ज किया, और साथ ही अभि0 सा0-2 और 3, गुरदीप और बलवीर सिंह के बयान भी दर्ज किए। 19-7-84 को सुबह करीब 6:30 बजे, ऊपर बताए गए उपनिरीक्षक राम कला सिंह को एक गुप्त सूचना मिली कि कुमारी बबली उर्फ कमलेश अभियुक्त रामेश्वर के घर पर मौजूद है; इसलिए वह कुछ पुलिस बल के साथ ऊपर बताए गए अभियुक्त रामेश्वर के घर गए। रास्ते में, ऊपर बताई गई बबली उर्फ कमलेश के भाई गुरदीप सिंह भी उपनिरीक्षक राम कला सिंह से मिले, और वह भी पुलिस टीम के साथ हो लिए। जब पुलिस टीम अभियुक्त रामेश्वर के घर पहुँची, तो घर का मुख्य दरवाज़ा बंद था। पास की एक खिड़की से उपनिरीक्षक राम कला सिंह, गुरदीप सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने देखा कि अभियुक्त रामेश्वर एक साफ़ी (कपड़ा) खींच रहा था, जो बबली उर्फ कमलेश के गले में बंधी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इसके बाद, मृतक बबली उर्फ कमलेश के शव का 'पंचायतनामा' तैयार किया गया। दोनों अभियुक्तगण को पुलिस थाने ले जाया गया, और ज़रूरी जाँच-पड़ताल के बाद, ऊपर बताए गए दोनों अभियुक्तगण के खिलाफ 'चालान' पेश किया गया और उनके खिलाफ आरोप-पत्र भी दायर किया गया।

6. अभियुक्त रामेश्वर के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 366 और 302/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए, जबकि अभियुक्त श्रीमती शांति के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302/34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए; इन आरोपों पर उन्होंने खद को निर्दोष बताया और विचारण की मांग किया।

7. अभियोजन पक्ष के प्रकरण के समर्थन में, अभि० सा०-1 सुरेंद्र कौर; अभि० सा०-2 बलवीर सिंह; अभि० सा०-3 गुरदीप सिंह; अभि० सा०-4 डॉ. अरविंद कुमार; अभि० सा०-5 नरेश चंद्र; अभि० सा०-6 रामकला सिंह; अभि० सा०-7 ओम प्रकाश और अभि० सा०-8 कमल किशोर मिश्रा को परीक्षित किया गया।

8. अभि० सा०-1 श्रीमती सुरेंद्र कौर हैं, जो मृतक बबली उर्फ कमलेश की माँ हैं; उन्होंने वाद का विस्तृत अभियोजन विवरण दिया। उन्होंने बताया कि जब 14-7-1984 की रात उनकी बेटी घर नहीं लौटी, तो उन्होंने उसकी तलाश किया; अगली सुबह उन्हें ईश्वर और बलवीर सिंह से पता चला कि उन्होंने बबली उर्फ कमलेश और अभियुक्त रामेश्वर को डीग गेट रेलवे क्रॉसिंग के पास एक रिक्शे में जाते हुए देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि जब वह अभियुक्त के घर गईं, तो उन्होंने उन्हें धमकाया और कहा कि अभियुक्त रामेश्वर उनकी बेटी से शादी करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इसके बाद वह किस तरह कृष्णा नगर पुलिस चौकी गईं, और जब उनका वाद दर्ज नहीं किया गया, तो वह लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के साथ एस.पी., मथुरा के पास गईं, जिन्होंने वाद दर्ज करने का आदेश दिया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. अभि0 सा0-2, बलवीर सिंह ने बयान दिया है कि उन्होंने शाम लगभग 5 बजे अभियुक्त रामेश्वर और कुमारी बबली उर्फ कमलेश को डींग गेट रेलवे क्रॉसिंग के पास एक रिक्शे में जाते हुए देखा था।

10. अभि0 सा0-3, गुरदीप सिंह, शिकायतकर्ता श्रीमती सुरेंद्र कौर के बेटे हैं। उन्होंने बताया कि जब वे पुलिस टीम के साथ दोनों अभियुक्तगण के घर गए, तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त रामेश्वर एक साफी (कपड़ा) खींच रहा था जो उसकी बहन के गले में बंधी हुई थी, जबकि दूसरी अभियुक्त, यानी श्रीमती शांति, उसकी बहन के पैर पकड़े हुए थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब पुलिस अधिकारी ने अभियुक्त रामेश्वर को धमकी दी कि अगर उसने मुख्य दरवाजा नहीं खोला, तो वे उसे गोली मार देंगे, तब अभियुक्त रामेश्वर ने अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया; और जब वे अपनी बहन के पास पहुँचे, तो उनकी मौजूदगी में ही उसकी मृत्यु हो गई।

11. अभि0 सा0-4, डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि 19-7-84 को उन्होंने बबली उर्फ कमलेश के शव का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने पाया कि उसके गले पर थायरॉइड कार्टिलेज के 28 सेमी x 2 सेमी नीचे एक लिगेचर मार्क था, जो गले के चारों ओर क्षैतिज रूप से और पूरी तरह से फैला हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि उसके गाल के बाईं ओर 1 सेमी x 2 सेमी का एक खरोंच का निशान भी मिला था। उन्होंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) को प्रमाणित किया और बताया कि चोट संख्या 1 तब लग सकती है जब मृतक के गले में कोई कपड़ा बांधकर उसे दोनों तरफ से खींचा जाए; और यह चोट, सामान्य परिस्थितियों में, उसकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

12. अभि0 सा0-5, नरेश चंद्र, उस घर के मालिक हैं जिसमें दोनों अभियुक्त रहते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पंचायतनामा (प्रदर्श क-3) पर हस्ताक्षर किए थे, और कुमारी बबली उर्फ कमलेश अपनी हत्या से लगभग एक हफ्ता पहले तक अभियुक्तगण के घर में ही रह रही थी।

13. अभि0 सा0-6 उपनिरीक्षक राम कला सिंह हैं, जो इस वाद के विवेचना अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि 19-7-84 की सुबह करीब 6:30 बजे उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि कुमारी बबली उर्फ कमलेश अभियुक्त रामेश्वर के घर पर है, और उस सूचना के मिलते ही वह कुछ पुलिस बल के साथ उसके घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें गुरदीप सिंह भी मिले, और वे सभी अभियुक्त रामेश्वर के घर गए; वहां एक खिड़की से उन्होंने देखा कि अभियुक्त रामेश्वर एक 'साफी'



(कपड़ा) खींच रहा था, जो कुमारी बबली उर्फ कमलेश के गले में बंधी हुई थी। उस समय, दूसरी अभियुक्त, यानी श्रीमती शांति, मृतक के पैर पकड़े हुए थी। उन्होंने आगे बताया कि कुमारी बबली उर्फ कमलेश की मृत्यु उनकी मौजूदगी में हुई, और उन्होंने उसका 'पंचायतनामा' (प्रदर्श क-3) तैयार किया। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक के गले में बंधी हुई साफी की एक 'फर्द' तैयार की गई थी, जो प्रदर्श क-6 है। उन्होंने पंचायतनामा के साथ तैयार किए गए कागजात प्रदर्श क-7 से का-12 और 'नक्शा नज़री' प्रदर्श क-13 को भी प्रमाणित किया। उन्होंने बाद में उपनिरीक्षक वी० पी० शर्मा द्वारा दायर की गई 'आरोप-पत्र' प्रदर्श क-14 को भी प्रमाणित किया। उन्होंने कांस्टेबल राधे श्याम द्वारा लिखी गई 'चिक रिपोर्ट' प्रदर्श क-15 को भी प्रमाणित किया।

14. अभि० सा०-7 कांस्टेबल ओम प्रकाश हैं, और उन्होंने बताया कि वह मृतक के शव को 'पोस्टमॉर्टम' (शव-परीक्षा) के लिए ले गए थे।

15. अभि० सा०-8 कमल किशोर मिश्रा हैं, जिन्होंने 'जी०डी० एंटी' (रोज़नामचा प्रविष्टि) को प्रमाणित किया, जिसकी प्रतियां प्रदर्श क-4, का-5 और का-16 के रूप में चिह्नित हैं। 5. वह मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले गए थे।

16. जब अभियुक्तगण को दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षित किया गया, तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त रामेश्वर ने यह भी कहा कि कुमारी बबली उर्फ कमलेश की मां, कुमारी बबली उर्फ कमलेश का इस्तेमाल अनैतिक कार्यों के लिए करती थी। उसने यह भी कहा कि जब उसकी जान-पहचान कुमारी बबली उर्फ कमलेश ने मैरिज ऑफिसर के समक्ष शादी किया। उन्होंने यह भी बताया कि जब कुमारी बबली उर्फ कमलेश की माँ और उनके रिश्तेदार उन्हें लेने आए, तो बबली उर्फ कमलेश ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि 18-7-84 को रात करीब 11:30 बजे, बबली उर्फ कमलेश के रिश्तेदार पुलिस के साथ उनके घर आए और बबली उर्फ कमलेश को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें और उनकी माँ को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और रात भर वहीं रखा गया; अगली सुबह उन्हें पता चला कि बबली उर्फ कमलेश की हत्या कर दी गई है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अपने बचाव में, उन्होंने मथुरा के मैरिज ऑफिसर को गवाही के लिए बुलाया, लेकिन जब वे कोर्ट में पेश हुए, तो उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई और उन्हें छोड़ दिया गया। बचाव पक्ष की ओर से किसी भी अभियुक्त ने कोई और सबूत पेश नहीं किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. अभियुक्त, रामेश्वर पर भा.दं.सं. की धारा 366 के तहत भी आरोप लगाया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि कुमारी बबली उर्फ कमलेश, कथित घटना के समय असल में नाबालिग थी। अभियोजन पक्ष का पक्का मामला यह है कि वह सब्जियाँ खरीदने के लिए अपने घर से निकली थी और डींग गेट रेलवे क्रॉसिंग से वह अभियुक्त, रामेश्वर के साथ एक रिक्शे में चली गई। अभि० सा० -1, श्रीमती सुरेन्द्र कौर, जो ऊपर बताई गई कुमारी बबली उर्फ कमलेश की माँ हैं, के अनुसार, जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी उन दोनों अभियुक्तगण के घर पर है और वह वहाँ गई, तो दोनों अभियुक्तगण ने उन्हें धमकाया। अगर कुमारी बबली उर्फ कमलेश अपनी मर्जी से नहीं गई होती, तो आम तौर पर उसे अपनी माँ के साथ जाने की ज़िद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अभियोजन पक्ष के मामले में यह भी माना गया है कि 14 तारीख की शाम से 19 तारीख की सुबह तक, ऊपर बताई गई कुमारी बबली उर्फ कमलेश अभियुक्तगण के घर पर रही; और यह बात भी दिखाती है कि वह अभियुक्तगण के घर जाने के लिए अपनी मर्जी से राज़ी थी। हालाँकि, नरेश चंद्र (अभि० सा० - 5), जो उस घर के मालिक हैं जिसमें दोनों अभियुक्त किराएदार के तौर पर रहते थे, ने बयान दिया कि कुमारी बबली उर्फ कमलेश अभियुक्तगण के घर पर लगभग एक हफ़्ते तक रुकी थी। ये सभी बातें दिखाती हैं कि, शायद कुमारी बबली उर्फ कमलेश, डींग गेट रेलवे क्रॉसिंग से अभियुक्त रामेश्वर के साथ अपनी मर्जी से गई थी; और इस तरह, अभियुक्त रामेश्वर को ऊपर बताई गई कुमारी बबली उर्फ कमलेश का अपहरण करने का दोषी नहीं ठहराया गया, और उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 366 के तहत लगाए गए आरोप से उसे बरी कर दिया गया। हालाँकि, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें दोषी ठहराया गया और भा.दं.सं. की धारा 366 और 302/34 के तहत सज़ा सुनाई गई। इसलिए, यह अपील की गई है।

18. विरोधी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विचारण न्यायालय के फैसले और अभिलेख पर मौजूद सामग्री की विवेचना करने पर, हमने पाया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़िता की माँ, अभि० सा०-1, श्रीमती सुरेन्द्र कौर, मथुरा में एक होटल चलाती हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वह 15, 16, 17 और 18 जुलाई, 1984 को अभियुक्त रामेश्वर के घर गई थीं, जहाँ उनकी बेटी, बबली को अभियुक्त रामेश्वर और उसकी माँ, शांति ने रोक रखा था। अभियुक्तगण ने बबली को उसकी माँ के साथ जाने नहीं दिया, क्योंकि उनका दावा था कि रामेश्वर ने बबली से शादी कर ली है। अभि० सा०-1 का आचरण सामान्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि वे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उनकी बेटी को उनके साथ जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तब भी उन्होंने न तो कोई शोर मचाया और न ही अभियुक्त के पड़ोसियों से मदद के लिए गुहार लगाई। वह नहीं चाहती थीं कि बबली रामेश्वर से शादी करे। यह अपराध 14.07.1984 की शाम को हुआ था और 15.07.1984 को अभियुक्त के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 366 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी; फिर भी उन्होंने पुलिस को अभियुक्त के घर ले जाकर अपनी बेटी को अभियुक्तगण की कैद से छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए, एक अपहृत बेटी की माँ से अपेक्षित सामान्य मानवीय आचरण को ध्यान में रखते हुए, उनका आचरण स्वाभाविक और सामान्य प्रतीत नहीं होता।

19. इस वाद में दूसरा महत्वपूर्ण गवाह अभि0 सा0-3, गुरुदीप है, जो पीड़ित का भाई है। पुलिस द्वारा तैयार किए गए किसी भी दस्तावेज़ में उसकी मौजूदगी नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसका दावा है कि वह (विवेचना) के समय वहां मौजूद था और उसने कई दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। उसने बताया कि जब वह जीप में जा रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर से हुई; लेकिन जब विवेचना अधिकारी, अभि0 सा0-6 से अदालत के सामने पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ साइकिल से घटनास्थल पर पहुंचा था।

20. अभि0 सा0-6, रामकला सिंह, जो इस मामले के विवेचना अधिकारी हैं, ने दावा किया है कि वह कई पुलिसकर्मियों और स्वतंत्र गवाहों के साथ घटनास्थल पर मौजूद थे; लेकिन 19.07.1984 को सुबह 07:00 बजे हुई घटना के संबंध में केवल गुरुदीप (अभि0 सा0-3) से ही पूछताछ की गई। अभि0 सा0-6 ने दावा किया कि वह इस घटना का चश्मदीद गवाह है; और इसलिए, इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय (यानी, **भगवत दयाल प्यारे लाल बनाम राज्य [इलाहाबाद]*** वाद में दिए गए निर्णय, जो **1968 एआईआर इला0 290** में प्रतिवेदित किया गया है) के अनुसार, जो पुलिस अधिकारी किसी मामले का चश्मदीद गवाह हो, उसे उस मामले की विवेचना नहीं करनी चाहिए। ऐसे चश्मदीद गवाह की गवाही को अत्यंत सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए।

21. इस न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया। यह निर्णय **चंद्रभान बनाम राज्य वाद में (आपराधिक अपील संख्या 400, वर्ष 1955 [इलाहाबाद])** सुनाया गया था, जिसमें इस न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया था :-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पूरी विवेचना ही संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि जाँच अधिकारी के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जब वह अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐसे तरीकों का सहारा लेता है। इसलिए, जाँच अधिकारी या उन गवाहों के बयानों पर भरोसा करना संभव नहीं है, जो थाना प्रभारी द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हैं। इन टिप्पणियों के साथ, माननीय न्यायाधीशों ने, जो उक्त अपील की सुनवाई कर रहे थे, जाँच अधिकारी के सबूतों पर, और साथ ही उन आम गवाहों के सबूतों पर भी कोई भरोसा नहीं किया, जिन्होंने उसकी गवाही की पुष्टि करने की कोशिश की थी। उक्त टिप्पणियाँ मौजूदा मामले पर भी समान रूप से लागू होती हैं। उक्त परिस्थिति से जुड़ा एक और तथ्य यह है कि जिस पुलिस अधिकारी ने याचिकाकर्ता के कब्जे से ऊपर बताई गई चीज़ों को बरामद करने का दावा किया था, वही व्यक्ति इस मामले की जाँच करने वाला भी था। जाँच का काम उसी अधिकारी द्वारा किए जाने की प्रथा को, जो खुद घटना का चश्मदीद गवाह भी हो, इस न्यायालय ने नापसंद किया है। जब वही अधिकारी, जो घटना का गवाह होने का दावा करता है, जाँच भी करता है, तो उसके सबूतों को बहुत सावधानी से देखा जाना चाहिए; और जब हम यह भी पाते हैं कि उसने घटना के अपने बयान को साबित करने के लिए ऐसे तरीकों का सहारा लिया, जिन्हें बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दी जा सकती, तो उसकी गवाही पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता; और यदि आम गवाह उसके सबूतों की पुष्टि करने के लिए आगे आते हैं, तो उनके सबूतों की स्थिति भी संबंधित पुलिस अधिकारी के सबूतों जैसी ही मानी जाएगी। उक्त परिस्थिति, और साथ में ऊपर बताए गए मेडिकल सबूत, अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई घटना की सच्चाई पर गंभीर संदेह पैदा करने के लिए काफी होंगे।

22. अपीलकर्ताओं के वकील की यह दलील कि यह प्रकरण मृतक की उसके अपने ही परिवार वालों द्वारा 'ऑनर किलिंग' का है, अभि० सा०-8, कांस्टेबल कमल किशोर मिश्रा के बयान से पुष्ट होती है। कांस्टेबल कमल किशोर मिश्रा ने कहा कि वह 18.07.1984 की (जनरल डायरी) अदालत में पेश नहीं कर पाए; जबकि बचाव पक्ष का तर्क यह था कि 18.07.1984 को अभियुक्तगण को पुलिस थाने ले जाकर उसी रात (18.07.1984 की रात) हिरासत में रखा गया था, और बबली की हत्या उसके ही परिवार वालों ने उनके घर में की थी। 18.07.1984 की रात को अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी की बात छिपाने के उद्देश्य से, 18.07.1984 की जनरल डायरी अदालत के समक्ष पेश नहीं की गई थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



23. अभि० सा०-5, नरेश चंद्र, उस घर के मालिक जहाँ अभियुक्त किराएदार के तौर पर रह रहे थे, ने बताया कि बबली पिछले एक हफ्ते से अपीलकर्ता, रामेश्वर के साथ उस घर में रह रही थी। सबूतों से यह बात सामने आई है कि उसने 11.07.1984 को रामेश्वर से शादी कर ली थी।

24. अभि० सा०-5 से इस मुद्दे पर कोई जिरह नहीं की गई। उनका शादी का प्रमाण-पत्र अभिलेख पर लाया गया और उसे साबित करने के लिए, मैरिज ऑफिसर 04.09.1985 को कोर्ट के सामने मौजूद थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उन्हें गवाही देने की इजाजत नहीं दी। अपीलकर्ता के पास बबली से शादी के 8 दिन बाद उसकी हत्या करने का कोई मकसद नहीं था। हमें यह भी लगता है कि अभि० सा०-3, गुरदीप, मृतक का सगा भाई है जो अपनी माँ, अभि० सा०-1 और अपनी बहन, बबली के साथ उसी घर में रह रहा था, लेकिन उसने न्यायालय के सामने कहा कि उसे 19.05.1984 को ही पता चला कि उसकी बहन रामेश्वर के घर पर रह रही है; इसलिए, अभि० सा०-3 की मौजूदगी संदिग्ध लगती है।

25. अभि० सा०-4, डॉ. अरविंद कुमार ने अपने बयान में कहा कि बबली की हत्या 18/19 जुलाई, 1984 की रात को 2-3 बजे के बीच हुई हो सकती है; और अगर इसे अपीलकर्ताओं के वकील की इस दलील के साथ पढ़ा जाए कि अपीलकर्ताओं को 18.07.1984 की रात को गिरफ्तार किया गया था, तो बबली की हत्या 18/19 जुलाई, 1984 की रात को 2-3 बजे के बीच हुई हो सकती है। रामेश्वर की गिरफ्तारी दिखाने वाला नक्शा नज़री उसके घर के बाहर का है, जबकि विवेचना अधिकारी, अभि० सा०-6 ने कहा था कि उसे घर के अंदर से गिरफ्तार किया गया था।

26. इस वाद के सभी तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अभियोजन का वाद भरोसेमंद नहीं है और अभियोजन अपील करने वालों के खिलाफ अपने वाद को बिना किसी शक के साबित करने में असफल रहा है।

27. अपील करने वालों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए था।

28. इसलिए, विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश अपास्तर किया जाता है।

29. आपराधिक अपील **स्वीकार** किया जाता है।

30. अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



31. अवर न्यायालय का अभिलेख निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय को भेजा जाए।

फरवरी 9, 2026

रोहित

(जय कृष्ण उपाध्याय, न्यायमूर्ति) (सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”